प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यूनुस पुत्र श्री रफीउल्ला, निवासी जनपद-हरदोई वर्तमान जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-39803/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.10.2025), दिनांक 16.10.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यूनुस पुत्र श्री रफीउल्ला (दिनांक 11.01.2025 तक बंदी की आयु 51 वर्ष 10 माह 28 दिन), मो0 अल्लापुर, कस्बा, थाना व शाहाबाद, जनपद हरदोई हाल पता म0नं0-325 आला चौक वार्ड नं0-25, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। सम्पत्ति के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30.10.2001 को बंदी ने गडासा व तमन्चा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-189, 190/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-01, हरदोई के आदेश दिनांक 01.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 11.01.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष 02 माह 08 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष 06 माह 08 दिन की की मात्र सजा भोगी गयी सजा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकने जो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी अपराधी प्रवृत्ति का है जिसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा समयपूर्व रिहाई से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिससे शान्ति भंग होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में सम्पत्ति विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30.10.2001 को बन्दी ने गड़ासा व तमन्चा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी यूनुस पुत्र श्री रफीउल्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यूनुस (बंदी संख्या-18498) पुत्र श्री रफीउल्ला, निवासी जनपद-हरदोई वर्तमान जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-265/2026/2207(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई/शाहजहांपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, हरदोई/शाहजहांपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-265/2026/2207/22-2-2025-17(240)/2025

दिनांक 20 मार्च, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी यूनुस पुत्र श्री रफीउल्ला (दिनांक 11.01.2025 तक बंदी की आयु 51 वर्ष 10 माह 28 दिन), मो0 अल्लापुर, कस्बा, थाना व शाहाबाद, जनपद हरदोई हाल पता म0नं0-325 आला चौक वार्ड नं0-25, थाना-सदर बाजार, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। सम्पत्ति के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30.10.2001 को बंदी ने गडासा व तमन्चा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-189, 190/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307 व 25ए एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-01, हरदोई के आदेश दिनांक 01.02.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ के आदेश दिनांक 12.12.2022 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया है। बंदी द्वारा दिनांक 11.01.2025 तक अपरिहार 23 वर्ष 02 माह 08 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष 06 माह 08 दिन की की मात्र सजा भोगी गयी सजा। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकने जो किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुनः अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी अपराधी प्रवृत्ति का है जिसके द्वारा पुनः अपराध कारित करने से इन्कार नही किये जाने, बन्दी द्वारा समयपूर्व रिहाई से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिससे शान्ति भंग होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में सम्पत्ति विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 30.10.2001 को बन्दी ने गड़ासा व तमन्चा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी यूनुस पुत्र श्री रफीउल्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।